आप.प्र.क. : 196 / 2015_ न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

आप.प्र.क. : 196 / 2015 संस्थित दिः 13 / 03 / 15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत पश्चिम बैहर,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी
विरुद्ध	
ललिताबाई पति नारायण, जाति–महार,,	
निवासी ,कलेगांव, थाना-बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)	आरोपीया
— <u>:: निर्णय ::</u> —	

(आज दिनांक 13/03/2015 को घोषित किया गया)

- आरोपीया पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क का आरोप है कि आरोपीया दिनांक 24/02/2015 को समय 12:00 बजे स्थान आरोपीया के मकान कलेगांव, अंर्तगत थाना बैहर अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में चार लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पायी गयी।
- में इस प्रकार है कि आबकारी (02)अभियोजन का प्रकरण संक्षेप उपनिरीक्षक ए.के. माहोरे को दिनांक 24/02/2015 को गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कलेगांव में रहने वाली ललिबाई अपने कब्जे अवैध रूप से शराब रखे हुये है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर समयाभाव के कारण बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त कर हमराह स्टाफ को साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर तलाशी लेने पर आरोपीया के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में तीन लीटर कच्ची महुआ शराब पायी गई। आरोपीया से शराब रखने के लायसेंस के संबंध

आप.प्र.क. : 196 / 2015_

में पूछने पर आरोपीया ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपीया से उक्त शराब को जप्त कर आरोपीया को गिरफ्तार कर, आरोपीया के विरूद्ध 305/15 की कायमी कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीया के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपीया को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीया को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपीया के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (अ) क्या आरोपीया दिनांक 24/02/2015 को समय 12:00 बजे स्थान आरोपीया के मकान ग्राम कलेगांव थाना बैहर अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में चार लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पायी गयी ?

-:: सकारण

निष्कर्ष ::-

- (05) आरोपीया को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीया को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीया ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपीया द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (ए) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीया को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपीया के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीया का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीया के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप

आप.प्र.क. : 196 / 2015_

आरोपीया को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

- (08) आरोपीया को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 600 / (छः सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।
- (09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीया को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- (10) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

है) (डी.एस.मण्डलोई) १थम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, १घाट बेहर, जिला बालाघाट